17/03/25 वकील वादी ने प्रा. प्र ~~पेश कर~~, वाद विड़ो किए जाने का पेश किया, जिस पर पत्रावली तलब की गई, वकील वादी ने वाद को विड़ो प्रार्थना-पत्र के आधार पर खारिज किए जाने का निवेदन किया। जिस पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरान्त वादी का वाद विड़ो प्रार्थना-पत्र के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नवट से कम है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
सांभर लेक (जयपुर)